राधिका झा IAS
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्
राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड़, देहरादून उत्तराखण्ड
फोन: 0135–2781941, 2781943 फैक्स – 2781942
website: http://ssa.uk.gov.in, email - spd-ssa-uk@nic.in

महत्वपूर्ण/फैक्स/ई–मेल

सेवा में,

1. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला परियोजना अधिकारी
   सर्व शिक्षा अभियान
   उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0नि0/892/नि0का0–पुर्न0 (8)/2014–15 दिनांक06 जुलाई, 14

विषय : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 में दैवीय आपदा से स्वीकृत पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। साथ ही विगत वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्य भी प्रगति पर है एवं वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो रहें है। उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तर से ब्लाक स्तर तक के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है। ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ध्यान रहे कि निर्माण कार्य छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अतः इसमें पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तम गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री का प्रयोग हो। इस हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है–

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित 10 प्रतिशत निर्माणाधीन कार्यों का तकनीकी सहायक की उपस्थिति में अनुश्रवण कर स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान 20 प्रतिशत निर्माणाधीन कार्यों का तकनीकी सहायक की उपस्थिति में अनुश्रवण कर स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
3. समस्त सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता सर्व शिक्षा अभियान, प्रत्येक निर्माण कार्य की नींव स्तर, प्लिन्थ स्तर, लिन्टल स्तर एवं फिनिशिंग स्तर पर अनुश्रवण कर स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित 50 प्रतिशत निर्माणाधीन कार्यों का तकनीकी सहायक की उपस्थिति में अनुश्रवण कर स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
5. अधिशासी अभियन्ता, राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान प्रत्येक माह विभिन्न जनपदों के 30 प्रतिशत निर्माणाधीन कार्यों का अनुश्रवण कर स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। (यदि अवर अभियन्ता गढ़वाल मण्डल के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण कर रहे होंगे तो अधि0अभि0 कुमांऊ मण्डल के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करेंगे)।
6. अवर अभियन्ता, राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान प्रत्येक माह विभिन्न जनपदों के 30 प्रतिशत निर्माणाधीन कार्यों का अनुश्रवण कर स्थलीय निरीक्षण की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। (यदि अधि0 अभियन्ता गढ़वाल मण्डल के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण कर रहे होंगे तो अवर अभियन्ता कुमांऊ मण्डल के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करेंगे)।

उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। अनुश्रवण के दौरान यदि यह दृष्टिगोचर होता है कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यथा विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता युक्त नहीं किया गया है या मानकानुसार उचित निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया है तो मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं उनके द्वारा कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु निर्माणाधीन कार्यों की जनपदवार सूची प्रेषित की जा रही है।

भवदीया

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०सं०: रा०प०नि०/892/नि०का०–पुर्न० (8)/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी को सम्बन्धित जनपद के जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रेषित।
6. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान को सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रेषित।
7. अधिशासी अभियन्ता/अवर अभियन्ता/राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को इस आशय से प्रेषित कि तत्काल अनुश्रवित किये जाने वाले विद्यालयों की विद्यालयवार वार्षिक योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।